"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 242] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 21 सितम्बर 2012—भाद्र 30, शक 1934

वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 सितम्बर 2012

अधिसूचना

क्रमांक एफ 01-06/2012/वाक. (पं.)/पांच (44).—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का संख्यांक 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, रायपुर शहर के अंदर स्थित थोक बाजार के व्यवसायियों को, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल एवं नगर पालिक निगम द्वारा व्यवस्थापन के तहत्, डूमरतराई (तहसील-रायपुर) में आवंटित भू-खण्डों तथा उस पर स्व वित्तीय योजना के अंतर्गत निर्मित दुकानों के लिए, निष्पादित विक्रय/पट्टे की लिखतों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान करती है.

2. उक्त अधिसूचना इसके राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जेवियर तिग्गा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 21 सितम्बर 2012

क्रमांक एफ 01-06/2012/वाक. (पं.)/पांच (44).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 01-06/2012/वाक. (पं.)/पांच (44), दिनांक 21-9-2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जेवियर तिग्गा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 21st September 2012

NOTIFICATION

No. F 01-06/2012/CT(R)/V (44).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. II of 1899), the State Government hereby remits stamp duty, chargeable on instruments of lease/sale, executed by Chhattisgarh Housing Board and Municipal Corporation Raipur for plots and shops constructed thereon under the self finance scheme, alloted for settlement in Dumartarai (Tehsil Raipur), to businessmen of wholesale markets situated in Raipur city.

2. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
XAVIER TIGGA, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.